

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

नाथू दास बनाम सावलदास वगै०

किस्म मुकदमा - इजराय

मुकदमा नम्बर - 119 / 2021

नम्बर / तारीख
अहकाम / जो
इस मुकदमा की
तालीम में जारी
हुये

17.11.2020

अपीलान्त/वादी की ओर से वकील श्री कमल कुमार शर्मा एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। उक्त प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.2021 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का रथगन आदेश आदि नहीं हों तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 17.12.2021 को पेश हो।

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

3616
17/11/21

02.09.2024

पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिकीदार उपस्थित। प्रकरण में कार्यालय हाजा के श्री सौंदरमल यादव भू. अभिलेख निरीक्षक ने अवगत कराया कि ऑनलाईन मिलान करने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 2641 दिनांक 23.11.2024 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फ़ैसल की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।

अमल करान
खिलास विवा नम
जं: सं: 2641
दि: 23.11.24
द्वारा करान
की पाठना
की वपी



(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)